

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1297/2025

राम धीरज

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – धर्मेन्द्र कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय को सुना।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकारों को यह निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है कि वे ग्राम- धेमाशिवबक्सराय, तहसील- बीकापुर, जिला- फैजाबाद/अयोध्या में स्थित लोक उपयोगिता भूमि गाटा संख्या 213, क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टेयर, जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है, गाटा संख्या 271, क्षेत्रफल 0.0330 हेक्टेयर, जो नवीन परती के रूप में दर्ज है और गाटा संख्या 164, क्षेत्रफल 0.2530 हेक्टेयर, जो श्मशानघाट के रूप में दर्ज है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाएँ।
3. बीकापुर, अयोध्या के उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि भूमि गाटा संख्या 164 से अतिक्रमण पहले ही हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत भूमि गाटा संख्या 213 और 271 से अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका का **निस्तारण** किया जाता है कि वे उपरोक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संस्थित कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक पूर्ण करें।

29 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)